FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0062 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2026 10:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 21/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 21/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 20:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2026 10:51:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA SADAR, JILA PALI, RAJASTHAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BABULAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANGILAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1961 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	537, INDRA COLONY VISTAR, TRANSPORT NAGAR(PALI), PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	537, INDRA COLONY VISTAR, TRANSPORT NAGAR(PALI), PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	OMPRAKASH		पिता:KANARAM	1. LOHAWAT,फलौदी, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा मे श्रीमान एडिशनल एसपी साहब ए सी बी पाली द्वितीय विषय -रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय जी,उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मे बाबूलाल पूत्र श्री मांगीलाल जी जाति सरगरा उम्र 65 वर्ष निवासी मकान नंबर 537 इंदिरा कालोनी विस्तार पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला पाली का रहने वाला हूं मेरे पुत्र मनोज का नाता गुलाबपुरा के निवासी हेमाराम सरगरा की पुत्री ममता से दो साल पहले हुआ था। मेरे पुत्र के ससुर हेमाजी ने मेरे से दो लाख् रूपये उधार लिये थे। वो रूपये मेरे द्वारा वापस मांगने पर उन्होंने मेंरे परिवार के सभी सदस्यों पर दहेज का मुकदमा पुलिस थाना सदर पाली में दर्ज करवा दिया। आज से करीब तीन चार दिन पहले मैं मेरे पुत्र मनोंज व मेरी पुत्री सोनू को लेकर पुलिस थाना सदर पाली गया तो पता चला की हमारे मुकदमें की तफतीश ओमप्रकाश जी थानेदार साहब कर रहे है तब मैं थानेदार साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्रवधु ममता ने आपके परिवार के सभी सदस्यों पर दहेंज प्रताड्ना का मुकदमा दर्ज करवाया है, मुझे आपके परिवार के सभी सदस्यों को गिरफतार करना पडेगा। जिस पर मैंने थानेदार साहब को कहा कि मेंरे पुत्रवधु अपने आप घर छोडकर गई है, हमनें उसे दहेज के लिये परेशान नहीं किया। जबकि मैंने तो मेरे सगाजी हेमाजी को उधार दिये रूपये मांगने पर उन्होंने झुठा मुकदमा दर्ज करवाया है। जिस पर थानेदार साहब ने कहा कि दहेज प्रताडना में आपके परिवार के सभी लोंगो को गिरफतार करके कोर्ट में पेश करूंगा और कहा कि यदि फाईल खर्चे के तीस हजार रूपये दो तो मैं सही तफतीश करके केवल तुम्हारे पुत्र मनोंज को मुलजिम मानकर उसी के खिलाफ चालान करूंगा और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ चालान नहीं करूगां अन्यथा सभी को मुलजिम मानकर सभी का चालान करूंगा। थानेदार साहब मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मुलजिम नहीं बनाने के लिये मेरे नाजायज तरिके से रूपयों की मांग कर रहे है। मैंने यदि उनके द्वारा मांगे गये तीस हजार रूपये उनको नहीं दिये तो वो मेरे परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ चालान पेंश करेंगे। मैं ओमप्रकाश जी थानेदार साहब को नाजायज तरिके से मांगे गये रिश्वत के तीस हजार रूपये उनको नहीं देना चाहता हूं और उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेंरा व ओमप्रकाश थानेदार साहब का आपस में रूपयों का कोई लेनदेन बकाया नहीं है और ना ही कोई आपसी रंजिश है। मेंरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। दिनांक 21-10-2025
बाबूलाल प्रार्थी बाबूलाल पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति सरगरा, निवासी मकान नंबर 537 इंद्रा कालोनी विस्तार, पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली मोबाईल नंबर कार्यवाही पुलिस दिनांक 21.10.2025 समय 05.30 पी.एम.
इस समय दर्ज रहे कि ब्यूरो मुख्यालय के हेल्पलाईन न. पर परिवादी श्री बाबूलाल द्वारा रिश्वत राशि मांग की शिकायत करने पर ब्यूरो मुख्यालय से वक्त 2.51 पीएम पर जरिये वाटसअप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्ष्ाक को परिवादी की शिकायत के क्रम मे आवश्यक अग्रिम कारवाई के निर्देश दिये तथा परिवादी के मोबाईल न. अवगत करवाये ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशो की पालना में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त 2.53 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर सम्पर्क किया तथा परिवादी को शिकायत के क्रम में कार्यालय हाजा में उपस्थित आने के लिये कहा जिसके क्रम में समय 05.30 पीएम पर परिवादी बाबुलाल पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति सरगरा उम्र 65 वर्ष निवासी मकान नम्बर 537 ईन्दिरा कॉलानी विस्तार पुलिस थाना टांसपोर्ट नगर जिला पाली कार्यालय हाजा पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ तथा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि मैं बाबुलाल पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति सरगरा उम्र 65 वर्ष निवासी मकान नम्बर 537 ईन्दिरा कॉलानी विस्तार पुलिस थाना टांसपोर्ट नगर जिला पाली का रहने बाला हूं मेरे पुत्र मनोज का नाता गुलाबपुरा के निवासी हेमाराम सरगरा की पुत्री ममता से दो साल पहले हुआ था। मेरे पुत्र के ससुर हेमाजी ने मेरे से दो लाख् रूपये उधार लिये थे। वो रूपये मेरे द्वारा वापस मांगने पर उन्होंने मेंरे परिवार के सभी सदस्यों पर दहेज का मुकदमा पुलिस थाना सदर पाली में दर्ज करवा दिया। आज से करीब तीन चार दिन पहले मैं मेरे पुत्र मनोंज व मेरी पुत्री सोनू को लेकर पुलिस थाना सदर पाली गया तो पता चला की हमारे मुकदमें की तफतीश ओमप्रकाश जी थानेदार साहब कर रहे है तब मैं थानेदार साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्रवधु ममता ने आपके परिवार के सभी सदस्यों पर दहेंज प्रताड्ना का मुकदमा दर्ज करवाया है, मुझे आपके परिवार के सभी सदस्यों को गिरफतार करना पडेगा। जिस पर मैंने थानेदार साहब को कहा कि मेंरे पुत्रवधु अपने आप घर छोडकर गई है, हमनें उसे दहेज के लिये परेशान नहीं किया। जबकि मैंने तो मेरे सगाजी हेमाजी को उधार दिये रूपये मांगने पर उन्होंने झुठा मुकदमा दर्ज करवाया है। जिस पर थानेदार साहब ने कहा कि दहेज प्रताडना में आपके परिवार के सभी लोंगो को गिरफतार करके कोर्ट में पेश करूंगा और

कहा कि यदि फाईल खर्चे के तीस हजार रूपये दो तो मैं सही तफतीश करके केवल तुम्हारे पुत्र मनोंज को मुलजिम मानकर उसी के खिलाफ चालान करूंगा और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ चालान नहीं करूगां अन्यथा सभी को मुलजिम मानकर सभी का चालान करूंगा। थानेदार साहब मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मुलजिम नहीं बनाने के लिये मेरे नाजायज तरिके से रूपयों की मांग कर रहे है। मैंने यदि उनके द्वारा मांगे गये तीस हजार रूपये उनको नहीं दिये तो वो मेरे परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ चालान पेंश करेंगे। मैं ओमप्रकाश जी थानेदार साहब को नाजायज तरिके से मांगे गये रिश्वत के तीस हजार रूपये उनको नहीं देना चाहता हूं और उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेंरा व ओमप्रकाश थानेदार साहब का आपस में रूपयों का कोई लेनदेन बकाया नहीं है और ना ही कोई आपसी रंजिश है। मेंरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पुछताछ की गयी तो परिवादी ने रिपोर्ट में वर्णित हालात बताये साथ ही परिवादी ने रिपोर्ट स्वंय के हस्तलिखित होना बताया तथा रिपोर्ट पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री बाबुलाल के आधार कार्ड की छायाप्रति बाबुलाल के हस्ताक्षरसुदा प्राप्त कर रिपोर्ट के संलग्न की गई। परिवादी श्री बाबुलाल ने बताया कि हमारे परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज करवाये गये दहेज के प्रकरण में थानेदार साहब ने हम सबको गिरुफतार कर सबके खिलाफ चालान पेश करने का कहा जिस पर मेरे द्वारा विनती करते हुए कहा कि यह मुकदमा झुठा है तथा मेंरे पुत्र के ससुरजी हेमाजी ने यह मुकदमा मेरे द्वारा पहले इनको रूपये उधार दिये थे वो वापस मांगने पर ईन्होंने रूपये वापस नहीं देने की नियत से मुकदमा दर्ज करवाया है। जिस पर थानेदार साहब ने कहा कि फाईल खर्च के तीस हजार रूपये आप दोंगे तब तो मैं परिवार के सभी सदस्यो को गिरफतार नहीं करूंगा और केवल आपके पुत्र मनोंज को गिरफतार करके उसी का चालान करूंगा। परिवादी ने कहा कि थानेदार साहब ने आज मुझे व मेंरे पुत्र व पुत्री को थाने बुलाया है। थानेदार साहब को मैंने यदि उनके मांगे गये रूपये नहीं दूंगा तो वो मेंरे परिवार के सभी सदस्यों को गिरफतार कर लेंगे तथा रूपये दिये बिना वो सही तफतीश नहीं करेंगे। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों व पुछताछ से मामला एक लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग करने से मामला प्रथम द्रस्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी में आने से प्रथमत रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री भवानीसिंह हैड कानि को मेरे कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी व भवानीसिंह को आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात श्री भवानीसिंह हैड कानि को निर्देशानुसार कार्यालय हाजा के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड लेकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के रिकॉर्डर एंव संचालन के सबंध में परिवादी को समझाईश कर थानेदार द्वारा मांग की जा रही रिश्वत राशि के सबंध में वार्ता कर गोपनीय सत्यापन कर लाने के लिये आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 21.10.2025 समय 06.35 पीएम इस समय हैड कानि भवानीसिंह नम्बर 19 मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री बाबुलाल के साथ परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक समझाईश कर पुलिस थाना सदर पाली के लिये परिवादी को परिवादी की स्कुटी व श्री भवानीसिंह स्वयं के वाहन से रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 08.15 पीएम पर श्री भवानीसिंह हैड कानि हमराह परिवादी श्री बाबुलाल रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास पर अपने अपने वाहन से उपस्थित आये। श्री भवानीसिंह हैड कानि स्वयं के पास से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री बाबुलाल श्रीमान के निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिये ब्यूरो चोकी से रवाना होकर पुलिस थाना सदर पाली के सामने हाईवे की पुलिया के पास पहुचे। वंहा पर परिवादी श्री बाबुलाल ने मुझे बताया कि मेंरा पुत्र मनोज व मेरी पुत्री सोनू भी पुलिया के पास खडे है मैं उनको साथ लेकर पुलिस थाने जाउंगा। जिसपर मैंने परिवादी श्री बाबुलाल को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नये मैमारी कार्ड के चालू कर गोपनीय सत्यापन हेतु सुपुर्द कर पुलिस थाना सदर पाली की तरफ रवाना किया तथा मैं थाने के बाहर ही गोपनीय स्थान पर गोपनीयता बरतते हुए मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री बाबुलाल अपने पुत्र मनोज व पुत्री सोनू के साथ पुलिया के पास आया जिसको मेरे द्वारा ईशारा कर साईड में बुलाया तथा कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादी ने अपने पुत्र व पुत्री को दूसरे वाहन से घर रवाना कर दिया। उसके बाद हम दोंनो वहां से अपने अपने वाहनों से रवाना होकर यंहा आपके पास आ गये। तत्पश्चात पास ही उपस्थित परिवादी ने भी हैड कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैं जब पुलिस थाने में गया था तब थानेदार ओमप्रकाश जी बाहर गये हुए थे जो थोडी देर में थाने आ गये। उसके बाद मैं उनसे मिला तथा उन्होंने मेंरी पुत्री सोनू व पुत्र मनोज के हस्ताक्षर कुछ कागजात पर करवाये तथा आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी तो मैंने जल्दीबाजी के कारण घर पर ही भूल जाना बताया तथा कल लेकर आने का कहा। उसके बाद थानेदारजी जिस कमरे में बैठे थे वंहा से मेरे पुत्र व पुत्री को बाहर भेजा तथा उसके बाद मुझे कहा कि पैसे का क्या हुआ। जिस पर मैंने उनको कहा कि आपने मुझे तीस हजार का कहा था परन्तु मैंने किसी को फोन करके पच्चीस हजार की व्यवस्था करने का बोला है। दो चार दिन में पैसे की व्यवस्था हो जायेगी। जिस पर थानेदार साहब ने कहा की आपकी ईच्छा हो तो कह दो मेरे कोई समस्या नहीं है मैं तीनों को मुलजिम बना दूंगा। मैंने विनती करते हुए कहा की दो चार दिन में पच्चीस हजार रूपये की व्यवस्था कर दूंगा तो थानेदार साहब ओमप्रकाशजी ने कहा की मेरे पास ईतना समय नहीं है बार बार

पूछ रहे हो आपके पीछे नहीं फिरूगां। जिस पर मैने पुन हाथाजोडी करते हुए कहा की चार पांच दिन में आपके पच्चीस हजार रूपये लाकर दे दूंगा। मेरे पर ईतनी मेहरबानी रखना। जिस पर थानेदार ओमप्रकाश जी ने कहा की नही तो वहां से उठाकर लेकर आउंगा सिधे ही। मैंने विनती करते हुए कहा कि आप तो गाडी के पावर से आदमी लाकर बिठा सकते हो, जिस पर थानेदार साहब ने कहा कि आपकी ईच्छा हो तो कह देना नहीं तो बता देना कि मेरे से नहीं होगा, तो चारों को लाकर अन्दर बंद कर दूंगा कोर्ट से जमानत करवाते रहना। मेरे द्वारा थानेदार साहब ओमप्रकाश जी से पैसो की व्यवस्था के लिए तीन चार दिन की मौहल्लत मांगी तो थानेदार साहब ने कहा कि तीन दिन का समय दे रहा हूं तीन दिन के बाद फिर चौथा दिन मेंरा है, आज के बाद फिर फोन नहीं करूंगा। जिस पर मेरे द्वारा पच्चीस हजार रूपये से थोडा कम करने की विनती करने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको कह दिया, अब आपकी इच्छा से जैसा करो आदि बात कही तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सूना तो रिकॉर्ड वार्ताओं में परिवादी बाबुलाल के कथनों की ताईद हुई तथा रिकॉर्डिंग वार्ता मैं यह बात स्पष्ट होती है कि एसओ ओमप्रकाश उप निरीक्षक पुलिस शातिर प्रव्रति का है रिश्वत संबधी स्पष्ट वार्ता नहीं करके परिवादी की इच्छा अनुसार रिश्वत प्राप्त करना चाहता है। रिकॉर्डिग वार्ता में एसओ ओमप्रकाश द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के लिये परिवादी को मुकदमें में गिरफतार करने व कोर्ट से जमानत करवाने के लिये धमकाना स्प्ष्ट प्रतित होता है। एसओ से पुन रिश्वत राशि मांग को स्पष्ट करवाने की आवश्यकता है तथा इस सबंध में परिवादी से कहा गया तो परिवादी ने कहा कि थानेदार साहब को रिश्वत राशि नहीं दूंगा तो वो मेंरे परिवार के सभी सदस्यों को मुलजिम बनाकर गिरफतार कर लेंगे तथा एक बार और उनसे दो चार दिन बाद मिलकर उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि में से कुछ राशि उनको देकर रिश्वत राशि के सबंध में और वार्ता कर स्पष्ट करवा लेता हूं। परिवादी के बताये अनुसार दो चार दिन बाद परिवादी को पुन भेजकर आवश्यक अग्रीम कार्यवाही अमल में लायी जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉडर में से मैमोरी कार्ड बाहर निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जें सुरक्षित रखा तथा वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु भवानीसिंह हैड कानि को सुपुर्द किया। मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डिग रिश्वत राशि मांग सत्यापन सबंधी वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु आईन्दा गवाह की तलबी आवश्यक कारवाई अमल में लायी जावेगी। आईन्दा समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर निर्देशानुसार आवश्यक अग्रिम कारवाई अमल में लायी जावेगी। परिवादी को उसके बताये अनुसार दो चार दिन बाद एसओ की उपस्थिति के बारे में जानकारी मालूम कर एसीबी ऑफिस आने व इस सबंध में गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.10.2025 समय 01.20 पीएम पर हैड कानि श्री भवानीसिंह ने जरिये वॉटसअप कॉल कर बताया कि परिवादी बाबुलाल को आज एसओ ओमप्रकाश ने पुलिस थाना सदर में बुलाया है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भवानीसिंह हैड कानि को निर्देशित किया कि कार्यालय के मालखाना में से रिकॉर्डर लेकर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबधी आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करे तत्पश्चात हालात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करे। ततपश्चात समय 06.53 पीएम पर श्री भवानीसिंह हैड कानि ने जरिये वॉटसअप कॉल कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं कार्यालय का रिकॉडर जिसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने आज दिनांक को उसके अति आवश्यक कार्य होने से रिश्तेदारी में जाना बताया तथा वंहा से पाली पंहुचने में देरी हो जाना बताया। इस कारण आज रिश्वत राशि मांग के सबंध में आवश्यक अग्रिम कारवाई नहीं हो सकी। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय हाजा का वॉईस रिकॉडर पुन मालखाना में सुरक्षित रखने तथा परिवादी के सम्पर्क में रहने हेतु निर्देशित किया। ततपश्चात दिनांक 27.10.2025 समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री बाबुलाल कार्यालय हाजा में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया तथा बताया कि कल दिनांक 26.10.2025 को ओमप्रकाशजी थानेदार साहब का मेंरे पास कॉल आया था तथा मुझे व मेंरी पुत्री सोनू व पुत्र मनोज को लेकर थाने बुलाया था परन्तु में किसी निजी काम से भाद्राजून चला गया था इसलिये उपस्थित नहीं हो सका था तथा अब उनसे मिलने जाउंगा। जिस पर हैड कानि भवानीसिंह से कार्यालय के मालखाना से वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया गया तो भवानी सिह हैड कानि कार्यालय के मालखाना से वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 26.10.2025 को लगाया हुआ नया मैमोरी कार्ड सहित लेकर आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर बंद कर वॉईस रिकॉर्डर भवानीसिंह हैड कानि को सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग के सत्यापन हेतु पुलिस थाना सदर के लिये रवाना किया। तत्पश्चात समय 05.55 पीएम पर श्री भवानीसिंह हैड कानि हमराह परिवादी श्री बाबुलाल रिश्वत राशि पुन मांग सत्यापन हेतु गये हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। श्री भवानीसिंह हैड कानि ने स्वयं के पास से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालात में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री बाबुलाल श्रीमान के निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग के पुन सत्यापन की कार्यवाही के लिये ब्यूरो चौकी से रवाना होकर पुलिस थाना सदर पाली के सामने हाईवे की पुलिया के पास पंहुचे। वहां पर परिवादी श्री बाबुलाल ने मुझे बताया कि मेरा पुत्र मनोज व मेरी पुत्री सोनू भी पुलिया के पास खडे है, मै उनको साथ लेकर पुलिस थाने जाउंगा। जिस पर मैने परिवादी श्री बाबुलाल को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड लगा हुआ ही चालूकर गोपनीय सत्यापन हेतु सुपुर्द कर पुलिस थाना सदर पाली की तरफ रवाना किया तथा मैं थाने के बाहर ही

गोपनीय स्थान पर गोपनीयता बरतते हुए मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री बाबुलाल अपने पुत्र मनोज व पुत्री सोनू के साथ पुलिये के पास आया, जिसको मेंरे द्वारा ईशारा कर साईड में बुलाया तथा कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त् कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादी ने अपने पुत्र व पुत्री को दूसरे वाहन से घर रवाना कर दिया। उसके बाद हम दोंनो वंहा से अपने अपने वाहनों से रवाना होकर आपके पास आ गये। तत्पश्चात पास ही खडे परिवादी ने भी हैड कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि आपके यंहा से रवाना होकर पुलिस थाना सदर पाली पंहुचा जंहा मैंने मेरे पुत्र व पुत्री को थानेदार साहब के कक्ष में बिठाया, कुछ देर ही में ओमप्रकाश जी थानेदार साहब भी अपने कक्ष मे आ गये। थानेदार साहब ने मेरे पुत्र व पुत्री सोनू के कुछ कागजो पर साईन करवाये तथा उन्हे बाहर बैठने को कहा। मेरी पुत्री व पुत्र के थानेदार साहब के कक्ष से बाहर बैठते ही थानेदार साहब ओमप्रकाशजी ने मुझे कहा कि कितने है तो मैंने कहा कि लाभ पंचमी तक मुश्किल से पांच हजार लेकर आया हूं। मैने उन्हे बताया कि अभी पैसो की व्यवस्था नहीं हुई, आप पांच हजार रख लो, आगे मेरी पेंशन आयेगी तो बाकी व्यवस्था कर दूंगा। जिस पर थानेदार साहब ने कहा कि मै आपकी पेंशन तक र्इंतजार नहीं कर सकता। मेरे द्वारा पुन विनती की गई की मेरे पास अभी पांच हजार है आप कहो जैसे करू जिस पर ओमप्रकाशजी थानेदार साहब ने कहा कि अभी आप जाओ मैं फोन कर दू तब आ जाना। मैने थानेदार साहब को कहा की अभी आप पांच ले लो मेरी पेंशन आ जायेगी तब व्यवस्था कर दूंगा। मैने थानेदार साहब को पांच हजार रूपये आगे किये तो उन्होंने कहा की यंहा कैमरा लगा हुआ है आप अन्दर रखो। मैंने पुन विनती करते हुए कहा कि आप अभी पांच हजार रख लो, मेरी पेंशन एक तारीख को आते ही आपको दस हजार की व्यवस्था कर दूंगा। जिस पर थानेदार साहब ने मुझे कहा कि आप अभी जाओ मैं किसी काम में व्यस्त् हूं। मैं आपको फोन कर दू तब आप आ जाना, अभी आप जाओ। परिवादी बाबुलाल ने कहा कि श्री ओमप्रकाशजी थानेदार साहब ने कैमरा के सामने होने की वजह से मेरे से पांच हजार रूप्ये नंही लिये तथा मुझे कहा कि जब भी वह फोन करेंगे तब मुझे थाने पर जाना है। परिवादी श्री बाबुलाल द्वारा बताये तथ्यों के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सूना तो रिकॉर्ड वार्ताओ में परिवादी बाबुलाल के तथ्यों की ताईद हुई। रिकॉर्डिंग वार्ता में यह बात स्पष्ट होता है कि एसओ ओमप्रकाश उप निरीक्षक पुलिस ने थाने में कैमरे के सामने रूपये देने पर रूपये प्राप्त नहीं करके आईन्दा फोन करके बुलानें पर रूपयें प्राप्त करना स्वीकार किया है अत आईन्दा एक बार पुन मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा तथा रिकॉर्डर पुन कार्यालय के मालखाना में रखवाया। इस रिकॉर्ड वार्ता की फर्द टांस्क्रिप्ट भी आईन्दा गवाहो की तलबी कर तैयार की जावेगी। समस्त् हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन कर निर्देशानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। परिवादी को उसके बताये अनुसार हिदायत दी गई की एसओ का जब भी आपके पास फोन आवे और आपको बुलावे तो शीघ्र ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतावे या श्री भवानीसिंह हैड कानि को बतावे। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.10.2025 समय 10.35 एएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के रिकॉर्डिंग के दोनो मैमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे से निकालकर मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप् से जोडकर मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप् में सेव करवाया गया। तत्पश्चात दोनो मुल मैमोरी कार्ड लेपटॉप में से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में रखे। तत्पश्चात श्री भवानीसिंह हैड कानि को निर्देशित किया कि लेपटॉप में उक्त सेव वार्ताओ को सुन सुनकर वार्ता के शब्दों का टंकण कम्प्यूटर के माध्यम से करे। तत्पश्चात दिनांक 29.10.2025 समय 10.35 एएम पर उपरोक्त फिगरा के निर्देशानुसार श्री भवानीसिंह हैड कानि ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबधित दोनो मैमोरी कार्ड की वार्ता को अलग अलग तिथीवार टंकण कर टंकण की हार्ड कॉपी का प्रींट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दों का मिलान रिकॉर्ड वार्ताओ से किया जाकर टंकण की सॉफट कॉपी लेपटॉप में सुरक्षित सेव रखवायी गयी। उक्त वार्ता की फर्द टांस्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवादी की उपस्थिति में टंकणीय शब्दों का मिलान कर फर्द टांस्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय अलग अलग तैयार की जावेगी। ततपश्चात दिनांक 14.11.2025 समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री बाबुलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा बताया कि मैं इतने दिन मेरे घरेलू जरूरी काम में व्यस्त था इस कारण आपसे सम्पर्क नहीं कर सका तथा आपके पास ऑफिस नहीं आ सका। परिवादी श्री बाबुलाल ने बताया कि करीब आठ नो दिन पहले मेरे पुत्र के पास पुलिस थाना सदर के कानिस्टेबल सुरेश का कॉल आया तथा उसे सिविल कोर्ट पाली मे चालान पेश करने के लिये बुलाया। जिस पर उसी दिन मेरे पुत्र मनोज के विरूद्व चालान कोर्ट में पेश कर दिया परन्तु मेंरे पास ओमप्रकाशजी थानेदार साहब का कोई कॉल नहीं आया। मैंने आज उनसे कॉल कर वार्ता की तो उन्होंने थोडी देर में मुझे फोन करने का बोला है। उसके बाद मैं आपके ऑफिस आ गया। आज हो सकता है वो मेरे को फोन करके बुला सकते है और मेरे से रूपये ले सकते है। तत्पश्चात परिवादी के बताये तथ्यों पर ट्रेप कारवाई का आयोजन की संभावना के मध्ये नजर कारवाई में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से गवाह की तलबी का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर ट्रेप कारवाई में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी पाली के नाम एक तहरीर जारी कर श्री प्रमोदसिंह कानि को तहरीर देकर पंचायत समिति पाली के लिये गवाह तलबी हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर उपरोक्त

फिगरा का गया हुआ श्री प्रमोदसिंह कानि मय सरकारी वाहन मय चालक कार्यालय हाजा पर गवाह पाबंदी का पत्र लेकर उपस्थित आया तथा गवाह पाबंदी का पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा पाबंदशुदा गवाह भी उपस्थित आ गये। गवाहान का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो अन्होंने अपना नाम श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री रतनलालजी जाति माली उम्र 39 साल निवासी गुडा एंदला पुलिस थाना गुडा एंदला जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत साकदडा पंचायत समिति पाली मोबाईल नम्बर एंव श्री हनवंतसिंह पुत्र श्री मांगुसिंह जी जाति रावणा राजपूत उम्र 39 साल निवासी गुंदोज पुलिस थाना गुडा एंदला जिला पाली हाल कनिष्ट सहायक ग्राम पंचायत डेण्डा पंचायत समिति पाली मोबाईल नम्बर होना बताया। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित परिवादी बाबुलाल का परिचय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट दोनो गवाहों को पढकर सुनाई तथा पढाई गई। उसके बाद रिश्वत राशि मांग से सबंधित दोनो मैमोरी कार्ड जो की मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित है उक्त को मेरे कब्जे से निकालकर मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप् के माध्यम से सुनाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो गवाहों को परिवादी की रिपोर्ट के क्रम की जाने वाली कारवाई में स्वतंत्र गवाह रहने का कहने पर दोनो ने मौखिक सहमति देकर परिवादी की रिपोर्ट पर अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर परिवादी ने बताया कि थानेदार साहब मेरे बारे में जानकारी करने मेरे घर आ सकते है इस कारण मेरा घर पर रहना आवश्यक है जिससे यदि वो आयेंगे तो उनको शक नहीं होगा तथा उनके आने पर मैं उनको पैसे लाने का बोलकर मिलने का समय लेकर उनको रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर सीधे ही आपके पास एसीबी ऑफिस आगे की कारवाई के लिये आ जाउंगा। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता एंव कारवाई से सबंधित आवश्यत हिदायत कर उसके बताये अनुसार उसके घर की तरफ रवाना किया तथा परिवादी के बताये अनुसार कारवाई की संभावना के मध्येनजर दोनो स्वतंत्र गवाह को कार्यालय हाजा में ही उपस्थित रहने एंव परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में की जाने वाली कारवाई के बारे में गोपनीयता की हिदातय की गई। ब्यूरो स्टाफ को भी कार्यालय हाजा में ही स्टेंड टू रहने व गोपनीय कारवाई हेतु उपकरण एंव टैप बॉक्स तैयार करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 06.10 पीएम पर परिवादी श्री बाबुलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर सीधे ही मेरे घर पर गया और थानेदार साहब के आने का ईंतजार किया लेकिन थानेदार साहब नहीं आये और उनका फोन भी मेरे मोबाईल पर नहीं आया। थानेदार साहब को हो सकता है कोई शक हो गया है या किसी कारण से मुझे कॉल नहीं किया, जबकि वो मेरे खिलाफ मुकदमें उन्होंने जो मदद की है उनके लिये वो मेरे से रूपये लेने जरूर आयेंगे या फोन करके मुझे बुलायेंगे इसलिये कुछ दिन और इंतजार करना ठीक रहेगा । परिवादी के बताये अनुसार परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में करवाये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन सबंधी आगे की ट्रेप कारवाई के लिये इंतजार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय 06.30 पीएएम पर प्रयोजित गोपनीय कारवाई की संभावना नही होने से तलब किये गये दोनो स्वतंत्र गवाह को गोपनीयता की हिदायत कर मुख्यालय नही छोडने व पुन तलब किये जाने पर शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर अपनी अपनी सकूनत को रवाना किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बाबुलाल को भी हिदायत की गई कि एसओ ज्यों ही सम्पर्क करे तो हालात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतावें। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.11.2025 समय 10.40 एएम पर परिवादी श्री बाबुलाल कार्यालय हाजा पी उपस्थित आया तथा बताया कि मैने इतने दिनो तक थानेदार साहब का इन्तजार किया लेकिन उनका फोन मेरे पास नही आया। मैने उनके बारे मे मालुमात किया तो उनका स्थानान्तरण सदर थाने से शिवपुरा हो जाना ज्ञात हुआ। मै मेरे घरेलू काम मे व्यस्त होने से इतने दिनो तक एसीबी आफिस आपके पास नही आ सका। थानेदार साहब का इतने दिन तक मेरे पास फोन नही आया तथा मेरे से मिलने भी नही आये और अब उनका स्थानातंरण भी हो गया है तो हो सकता है कि उनको मेरे उपर शक हो गया है। इसलिये दिनांक 26.10.25 को भी मै जब थाने उनके पास गया तब मैने उनको उनके द्वारा मांगे गये रिश्वत के रूपयो मे से पांच हजार रूपये देने चाहे तब थाने मे सीसीटीवी कैमरा लगा होने से उन्होने उस समय रूपये मेरे से नही लिये हो सकता है इस वजह से भी उनको मेरे उपर शक हो गया हो अब ऐसा लग रहा है कि थानेदार साहब हमारे परिवार के खिलाफ दहेज के मूकदमें मे बदद करने की एवज मे उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि पच्चीस हजार रूपये मेरे से नही लेंगे तथा मेरी रिपोर्ट के क्रम मे आगे कारवाई संभव नही लग रही है । इस संबध मे आगे कारवाई संभव नही होने का लिखित प्रार्थना पत्र भी पेश किया जो शामिल कारवाई किया गया। परिवादी के बताये तथ्यों के क्रम मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय रूप से एसओ के बारे मे जानकारी ज्ञात की तो एसओ का स्थानान्तरण थानाधिकारी शिवपूरा होना ज्ञात हुआ । परिवादी के बताये तथ्यों पर आगे कोई कारवाई होने की संभावना नही होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर अब तक की कारवाई के क्रम मे रिपोर्ट मुख्यालय भेजना आवश्यक होने से पाबंद किये गये गवाह को शीध्र ही कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात समय 11.30 एएम पर गवाह श्री श्रवण कुमार व श्री हनवन्त सिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दोनो गवाह को परिवादी द्वारा बताये हालात के बारे मे अवगत करवाया। उसके बाद इस कारवाई से संबंधित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो दिनांक 21-10-25 का रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा

चुका है जो कार्यालय के लेपटॉप मे सेव है। उक्त टंकणीय शब्दो के मिलान हेतु रिकार्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के दूसरे लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन सुन कर शब्द ब शब्द मिलान करवाकर फर्द टांसक्रिप्ट रिश्वत राशि सत्यापन वार्ता प्रथम परिवादी व उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह के रूबरू तैयार करना प्रारम्भ किया गया, जो वक्त 01.30 पीएम तक फर्द टांसस्क्रिप्ट पूर्ण हुई। इस फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कारवाई किया गया। मूल मेमोर कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से दो पैन ड्राईव मे डब/कॉपी तैयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली गई तथा इस सम्बंध मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) (सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कारवाई किया गया। इस वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की एक डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील्ड किया गया थैली पर इबारत लिख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा दोनो डब पैन डाईव को खुली हालात मे रखा गया। तत्पश्चात समय 01.55 पीएम पर कारवाई से सम्बन्धित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय की फर्द टांसक्रिप्त तैयार किया जाना शेष होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो की दिनांक 27.10.2025 को रिकॉर्ड करवायी गई थी उक्त रिकॉर्डिग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चूका है जो कार्यालय के लेपटॉप मे सेव है। उक्त टंकणीय शब्दो के मिलान हेतु रिकॉर्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को कार्यालय के दुसरे लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन सुन कर शब्द ब शब्द मिलान करवाकर फर्द टांसक्रिप्ट रिश्वत राशि सत्यापन वार्ता द्वितीय तैयार करना प्रारम्भ किया गया। जो वक्त 03.10 पीएम तक फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पूर्ण कर फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कारवाई किया गया। मूल मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से प्रथम वार्ता के डब दोनो पैन ड्राईव मे डब/कॉपी करवाया गया। मांग सत्यापन के मूल मेमोरी कार्ड की हैस वैल्यू निकाली गई तथा इस संबंध मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) (सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। इस वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की एक डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे सील्ड किया गया थैली पर ईबारत लिख संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालात मे रखा गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्विती की दो मूल मेमोरी कार्ड के सील्ड शुदा पैकेट व दो डब पैन ड्राईव खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री बाबूलाल व दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपनी अपनी सकूनत को रवाना किया गया। उपरोकत तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से अब तक की गई कारवाई से एसओ श्री ओमप्रकाश उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सदर पाली द्वारा परिवादी श्री बाबुलाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज के मुकदमे मे केवल पुत्र को ही मुल्जिम बनाने व परिवार के अन्य सदस्यों को मुल्जिम नही बनाने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाता है। इस प्रकार रिश्वत राशि मांग सत्यापन से एक लोक सेवक द्वारा अपने वैध पारितोषण से भिन्न पारितोषण प्राप्त करने की मंशा से रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाने पर श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कानाराम, उम्र 56 वर्ष निवासी गांव लोहावट, पुलिस थाना लोहावट, जिला फलौदी राजस्थान, तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सदर जिला पाली हाल थानाधिकारी पुलिस थाना शिवपूरा जिला पाली का उक्त क्रत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री ओमप्रकाश उप निरीक्षक पुलिस के विरूदध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।भवदीय (खींवसिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींवसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कानाराम, उम्र 56 वर्ष, निवासी गांव लोहावट, पुलिस थाना लोहावट, जिला फलौदी राजस्थान, ततकालीन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सदर जिला पाली राज, हाल थानाधिकारी पुलिस थाना शिवपूरा जिला पाली राज के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 500 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 445-48 दिनांक 06.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/03/2026 11:37:17

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)